न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व वाद संख्या **12/2022** अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
हकीमखान पुत्र बहादुर जाति मुसलमान, निवासी मतुजा तहसील शिव, जिला बाडमेर		1. गाजीखान पुत्र बहादुर 2. अमरखान पुत्र बहादुर जाति मुसलमान, निवासी मतुजा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा शिव 4. तहसीलदार शिव 5. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री ईश्वरसिंह भाटी।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 – श्री अभयसिंह राठौड़।
3. अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 – श्री कैलाशसिंह राठौड़।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 20.12.2023

उभयपक्ष अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल हाथीसिंह का गांव के ग्राम मतुजा के खेत खसरा नम्बर 107, 91, 261/91 रकबा क्रमशः 8.8302, 7.2358, 3.6179 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	अमरखान पुत्र बहादुर जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन – BOB शाखा शिव	मतुजा	107	2.9434	बा.दो.		काला
			91	2.4119			
			261/91	1.2060			
		कुल	**03**	**6.5613**	**बा.दो.**		
2	गाजीखान पुत्र बहादुर जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	मतुजा	107	2.9434	बा.दो.		हरा
			91	2.4120			
			261/91	1.2059			
		कुल	**03**	**6.5613**	**बा.दो.**		
3	हकीमखान पुत्र बहादुर जाति मुसलमान सा. देह खातेदार रहन – SBI शाखा शिव	मतुजा	107	2.9434	बा.दो.		गुलाबी
			91	2.4119			
			261/91	1.2060			
		कुल	**03**	**6.5613**	**बा.दो.**		

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव, जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner